दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 10 अप्रैल 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 189

महत्वपूर्ण एवं खास

भारत में जल्द मिलेगा सस्ता पेट्रोल-डीजल, ईरान से क्रूड ऑयल खरीद होगी शुरू

नई दिल्ली (आरएनएस)। तेल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के लिए माकूल माहौल होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत जल्द ही ईरान से कच्चा तेल खरीदना फिर से शुरू करेगा। अमेरिकी पाबंदियों में ढील मिलते ही भारत ईरान से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर देगा। इससे भारत को क्रूड ऑयल के अपने आयात को डायवर्सिफाई करने में मदद मिलेगी। बता दें कि ईरान परमाणु समझौते को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों की वियना में बैठक चल रही है। अमेरिकी सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद 2019 के मध्य से भारत ने ईरान से कच्चे तेल का आयात रोक दिया था। वहीं अब भारत सऊदी अरब के अलावा कई और विकल्पों पर विचार कर रहा है। ईरान से तेल आते ही न केवल भारत के बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे। बल्कि आयात के दूसरों श्रोतों पर भी फर्क पड़ेगा।

इस साल जायद की बुवाई में 16.49 प्रतिशत बढ़ोतरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अभी तक जायद यानी गर्मी की फसल की कुल बुवाई 16.49 प्रतिशत बढ़कर 67.87 लाख हेक्टेयर हो गई है, जिसमें सबसे अधिक रकबा धान का है। जायद की फसल फरवरी-जून के बीच बोई जाती है। यह समय रबी (सर्दी) और खरीफ (मानसून) के बीच का होता है। कृषि आयुक्त एस के मल्होत्रा ने कहा कि जायद की फसल रबी और खरीफ के बीच की अवधि के 30-90 दिनों में तैयार होती है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए जायद की फसल को बढ़ावा दे रही है। मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल जायद का कुल रकबा बढ़कर 67.87 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले साल की समान अवधि के 58.26 लाख हेक्टेयर से 16.49 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि अभी तक जायद की बुवाई के रुझान काफी अच्छे हैं और इस पर कोविड-19 महामारी का कोई असर नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई काला जादू, जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए दायर याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कहा गया था कि गरीब, अशिक्षित लोगों का काला जादू और अंधविश्वास का डर दिखाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका प्रसार के उद्देश्य से दाखिल की गई है। कोर्ट ने कहा कि देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपना धर्म चुनने का अधिकार है और देश का संविधान उन्हें ये अधिकार देता है। इस याचिका को वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर किया गया था और इसे न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन ने याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई। वहीं बेंच ने याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाने की भी धमकी दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायण से कहा ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत यह किस तरह की याचिका है।

हिमालय की गैर-एकरूपता से बहुत बड़े भूकंपीय घटनाओं का अनुमान

नईदिल्ली (आरएनएस)। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हिमालय एकरूप नहीं है और उनका अनुमान है कि विभिन्न दिशाओं में विभिन्न भौतिक एवं यांत्रिकी गुण हैं क्रिस्टल में उपस्थित एक गुण को एनिसोट्रोपी कहा जाता है जिसका परिणाम हिमालय में उल्लेखनीय रूप से बड़ी भूकंपीय घटनाओं के रूप में सामने आ सकता है।

गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश को कवर करने वाले भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में 20वीं सदी के आरंभ से मध्यम श्रेणी से बड़े तक चार विध्वंसक भूकंप आ चुके हैं- 1905 में कांगड़ा में आया भूकंप, 1975 का किन्नौर भूकंप, 1991 का उत्तरकाशी भूकंप और 1999 में चमोली में आया भूकंप। ये भूकंपीय गतिविधियां बड़े पैमाने पर उपसतही विरूपण तथा कमजोर जोन को दर्शाती हैं और संरचना के लिहाज से इन अस्थिर जोन के नीचे वर्तमान में जारी विरूपण की तह में जाने की आवश्यकता रेखांकित करती हैं।

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान, देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जिओलॉजी (डब्ल्यूआईएचजी) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर (आईआईटी केजीपी) के शोधकर्ताओं जिनके नाम हैं, डॉ. सुशील कुमार, वैज्ञानिक 'जी', डब्ल्यूआईएचजी; शुभस्मिता बिस्वाल, शोधकर्ता, डब्ल्यूआईएचजी तथा आईआईटी केजीपी; विलियम मोहंती, प्रोफेसर आईआईटी केजीपी एवं महेश प्रसाद परिजा, पूर्व शोधकर्ता, डब्ल्यूआईएचजी ने यह प्रदर्शित करने के लिए कि उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र क्रिस्टल में उपस्थित एक विशिष्ट अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, डब्ल्यूआईएचजी डेटा का उपयोग किया।

पश्चिमी हिमालय में तैनात 20 ब्रॉडबैंड भूकंपीय केन्द्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए 167 भूकंपों की भूकंपीय तरंगों का उपयोग करते हुए संयुक्त अध्ययन में इसका संकेत मिला कि एनिसोट्रोपी का बड़ा योगदान मुख्य रूप से इसलिए है कि इंडो-यूरोशिया टकराव (जो 50 मिलियन वर्षों से जारी है) से प्रेरित दबाव तथा टकराव के कारण आई विरूपता ऊपरी आवरण की तुलना में परत में बड़ी पाई जाती है। हाल ही में 2020 में 'लिथोस्फे यर (जीएसए)' जर्नल में यह प्रकाशित किया गया है।

हिमालय के साथ-साथ इनहोमोजेनेटी दबाव दर को प्रभावित करती है जो मेन हिमालयन थ्रस्ट (एमएचटी) सिस्टम की जियोमिट्री में परिवर्तन के कारण है और यह भूकंप के दौरान फूटन (रप्चर) आकार को नियंत्रित करता है। हिमालय के भौतिक एवं यांत्रिक गुणों में समानता की यह कमी हिमालयी पहाड़ के निर्माण में शामिल हिमालय-तिब्बत क्रस्टल बेल्ट में हो रही विरूपताओं के बारे में नई संभावनाओं की खोज में मदद कर सकती है।

रक्षामंत्री राजनाथ ने कजाकिस्तान के रक्षामंत्री यर्मेकबएव के साथ द्विपक्षीय बातचीत की

नईदिल्ली (आरएनएस)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कजाकिस्तान के रक्षामंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नुर्लान यर्मेकबएव के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। मुलाकात के दौरान दोनों मंत्रियों ने प्रशिक्षण, रक्षा अभ्यासों तथा क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने सहमति जताई कि दोनों पक्षों को निश्चित रूप से परस्पर हितों के रक्षा औद्योगिक सहयोग की संभावना पर विचार करना चाहिए।

कजाकिस्तान के रक्षामंत्री ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) में भारतीय बटालियन के एक हिस्से के रूप में तैनाती के लिए कजाकिस्तान की सैन्य टुकड़ी को अवसर देने के लिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया। दोनों मंत्रियों ने वार्षिक काजइंड अभ्यास का सकारात्मक रूप से आकलन भी किया।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, सचिव (रक्षा उत्पादन) राज कुमार तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सिविल तथा सैन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

लेफ्टिनेंट जनरल नुर्लान यर्मेकबएव 7-10 अप्रैल, 2021 से भारत की अधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने जोधपुर में 12 कॉर्प्स के मुख्यालय तथा जैसलमेर में लोंगेवाल का दौरा किया। कजाकिस्तान के रक्षामंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नुर्लान यर्मेकबएव रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के आमंत्रण पर भारत में हैं।

ममता पर कथित हमले की जांच वाली याचिका खारिज

» हाई कोर्ट जाएं याचिकाकर्ता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए कथित हमले की सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील से कहा, आप कलकत्ता हाई कोर्ट जाएं।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील को हाई कोर्ट जाने की छूट देते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। बनर्जी ने 10 मार्च को आरोप लगाया था कि नंदीग्राम में चार-पांच लोगों ने उनपर हमला किया जिसके कारण उनका पैर चोटिल हो गया। घटना से पहले उन्होंने नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र जमा किया था। इस सीट पर भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को मुकाबले में उतारा है। शुभम अवस्थी और दो अन्य ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि संवैधानिक पद वाले किसी व्यक्ति पर कथित हमले की सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए और वोटरों का विश्वास बढ़ाने के लिए इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।

सजा बढ़ाने की भी हुई थी मांग- याचिका में चुनावी हिंसा के लिए सजा बढ़ाने को लेकर निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया दायर याचिका में कहा गया कि संवैधानिक पद वाले किसी व्यक्ति पर इस तरह का हमला मुक्त और पारदर्शी चुनाव के विचार के खिलाफ है।

फौरन बंद हो कोरोना वैक्सीन का निर्यात

» राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर फौरन रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि हर उस व्यक्ति को कोरोना रोधी टीका लगाना चाहिए जिसे इसकी जरूरत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि टीके की खरीद एवं वितरण में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए। राहुल गांधी ने आठ अप्रैल को यह चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। उन्होंने इस पत्र में यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से सही तरीके से क्रियान्वयन न किए जाने और उसमें लापरवाही के कारण टीकाकरण का प्रयास कमजोर पड़ता दिख रहा है।उन्होंने प्रधानमंत्री से यह भी कहा कि टीके के आपूर्तिकर्ताओं को जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएं ताकि टीके तैयार करने की क्षमता में इजाफा हो सके।

कांग्रेस नेता ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की नयी लहर आने और टीकाकरण की गति कथित तौर पर धीमी होने का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि अगर मौजूदा गति से टीकाकरण चलता रहा तो देश की 75 फीसदी आबादी को टीका लगाने में कई साल लग जाएंगे। उन्होंने यह आग्रह किया कि टीके के निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार दूसरे टीकों को त्वरित अनुमति दी जाए। जिन्हें भी टीके की जरूरत है उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। टीकाकरण के लिए तय राशि 35000 करोड़ रुपये में बढ़ोतरी की जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पत्र में कहा, हमारे टीकाकरण अभियान को, अब टीके के प्रमाणपत्र पर किसी व्यक्ति की तस्वीर से आगे, अधिकतम टीकाकरण की दिशा में बढ़ाना होगा।

इटली से मुआवजे के रूप में आए 10 करोड़ जमा कराए केंद्र सरकार: सुको

» मछुआरों की हत्या मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर आज यानी 9 अप्रैल को सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार ने दो भारतीय मछुआरे की हत्या के मामले में दो इटालियन सैनिकों के खिलाफ चल रहे मामले को बंद करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से इटली सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि 10 करोड़ रुपए को मृतक मछुआरों के परिजनों के अकाउंट में जमा करने को कहा।

दरअसल, केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि मुआवजे की राशि के तौर पर इटली मृतक मछुआरों के परिजनों को दस करोड़ रुपए देगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दोनों मृतक मछुआरों को 4-4 करोड़ रुपए दिए

जाएंगे, वहीं नाव के घायल मालिक को नुकसान की भरपाई के लिए दो करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि वह मृतक के परिजनों को सुने बिना केस बंद नहीं करेंगे और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि मृतकों के परिवार को बकाया मुआवजा भी दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में चीफ जस्टिस बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी आर सुब्रमणियम थे। शुरू में कोर्ट ने कहा कि वह अगले सप्ताह सुनवाई करेगा, मगर जब तुषार मेहता ने कहा कि क्योंकि यह भारत और इटली सरकार के बीच का मामला है, इसलिए इसकी जल्दी सुनवाई की जरूरत है।

जुलाई 2020 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने इटली के दो नेवी सैनिकों द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का फैसला (21 मई 2020) को मानने और उसके अनुपालन का फैसला किया है, जिसमें कहा गया कि भारत इस मामले में मुआवजा पाने का हकदार है मगर इन सैनिकों को प्राप्त छूट की वजह से वह इन पर मुकदमा नहीं चला सकता। केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट में इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही बंद करने के लिये एक आवेदन दायर किया था।

गौरतलब है कि 15 फरवरी, 2012 को केरल तट से 20.5 नौटिकल मील दूर समुद्र में एमटी एनरिका लेक्सी जहाज से दो मरीन ने गोलियां चलाई थीं जिसमें दो मछुआरे मारे गए थे। ये दोनों मछुआरे केरल के थे। पुलिस ने इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मुठभेड़ में सुक्षाबलों ने 5 आतंकी किये ढेर, पूरे इलाके का हुआ घेराव

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल में हुई मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। एनकाउंटर अभी भी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि इस ऑपरेशन को पुलिस और सुरक्षा बल अंजाम दे रहे हैं। वहीं, शोपियां मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए हैं। यहां भी मुठभेड़ चल रही है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शोपियां नगर के बाबा मोहल्ला में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया। अधिकारी ने बताया कि इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। उन्होंने बताया कि जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में चार आतंकी छिपे हो सकते हैं।

आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने जन मोहल्ला मुख्य नगर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया।

नीति आयोग ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का करेगा शुभारंभ

नईदिल्ली (आरएनएस)। नीति आयोग आगामी और ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक, अशोका इन्नोवेटर्स फॉर द पब्लिक, ट्राईलीगल, डालबर्ग, द्वारा और एनआईपीएफपी के सहयोग से अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का कल शुभारंभ करेगा।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय डीवाई चंद्रचूड़ इस आयोजन में आरंभिक भाषण देंगे और इस पुस्तिका का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, टाटा संस की वाइस प्रेसिडेंट, पूर्णिमा

संपत और उड़ान के मुख्य संग्रहकर्ता सुमित गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे।

यह पुस्तिका व्यवसायिक जगत के लिए एक तरह का आमंत्रण है कि वह भारत में ओडीआर को अंगीकार करें। यह पुस्तिका किसी ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करती है। देश में व्यवसायिक जगत इस ओडीआर के मॉडल को अपना सकता है और उन्हें कदम उठाने योग्य सुगम मार्ग मिल सकता है।

यह ओडीआर डिजिटल प्रौद्योगिकी और विवाद समाधान की वैकल्पिक तकनीकियों (एडीआर) का उपयोग करते हुए अदालतों के बाहर लघु और मध्यम दर्जे के विवादों को निपटाने की एक व्यवस्था है जिसमें मध्यस्थता और बीच बचाव के उपाय किए गए हैं। न्यायपालिका के प्रयासों के चलते जहां अदालतों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है ऐसे में प्रभावी, स्केलेबल और विवादों की रोकथाम तथा समाधान के लिए साझेदारी की व्यवस्था अपरिहार्य हो जाती है। ओ डी आर विवादों के प्रभावी और सस्ते समाधान की दिशा में मददगार हो सकती है।

भारतीय नागरिक से तलाक के बाद विदेशी को नहीं मिल सकता है ओसीआई का दर्जा

» केंद्र सरकार ने अदालत को दिये एक दस्तावेज में कहा

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि भारतीय नागरिकों से विवाह होने के आधार पर ओसीआई कार्डधारकों के तौर पर पंजीकृत विदेशी नागरिकों को तलाक लेने के बाद यह लाभ नहीं मिल सकता है।

गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास के निर्णय का बचाव करते हुए यह दलील दी जिसने बेल्जियम की महिला को भारतीय व्यक्ति के साथ उसकी शादी समाप्त होने के बाद अपना ओसीआई कार्ड वापस करने का निर्देश दिया है। महिला ने नागरिकता कानून - धारा सात द (फ) के प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसके तहत किसी भारतीय नागरिक का विदेशी साथी (पति या पत्नी) तलाक होने पर भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होने का दर्जा खो देगा। प्रावधान का बचाव करते हुए, गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि जिस धारा को चुनौती दी गई है वह समझने लायक अंतर (इंटेलिजेबल डिफरेंशिया) के आधार पर स्पष्ट वर्गीकरण करता है

जो उन विदेशी नागरिकों पर लागू है जो भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक से शादी के आधार पर ओसीआई कार्डधारक के तौर पर पंजीकृत थे और जिनकी शादी बाद में समाप्त हो गई है।

गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिगपॉल के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में कहा कि प्रावधान में ऐसे विदेशी नागरिकों के ओसीआई कार्डधारक को रद्द करने का प्रवाधान है क्योंकि वे नागरिकता कानून,1955 के तहत अब इसके लिए पात्र नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि महिला को एक भारतीय नागरिक से विवाह करने के कारण बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा भारतीय मूल का व्यक्ति (पीओआई) कार्ड 21 अगस्त, 2006 को जारी किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि उसने अक्टूबर 2011 में अपने पति को तलाक दे दिया था और बाद में उसे इस शादी के आधार पर जारी पीआईओ कार्ड को रद्द कर दिया जाना चाहिए था लेकिन उस वक्त यह नहीं किया गया था। गृह मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि महिला का ओसीआई दर्जा अब भी रद्द नहीं हुआ है और उसे बस कार्ड वापस करने को कहा गया है।